

Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.

Public Notice

In compliance to section 62 of the Electricity Act, 2003 and relevant provisions of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd. (CSPGCL) has filed a Petition before the Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for True up of ARR for FY 2022-23 for its Conventional Plants . This petition is registered as petition no. 10 of 2024.

The Standalone Gap for FY 2022-23 is Rs. 135.33 Cr and with carrying cost the recoverable Gap in FY 2024-25 is Rs. 159.76 Cr.

Persons intending to file objections/ suggestions, on the above petition, may submit the same to secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur- 492001 (CG), e-mail: cserc.sec.cg@nic.in with a copy to Chief Engineer (C&RA), Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd., Dangania, Raipur- 492013 and email to edcnra@cspc.co.in within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hard copy of the aforesaid petition is available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 300/- from 11:00 am to 4:00 pm on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 100/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

Chief Engineer (C&RA)
CSPGCL, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.उ.कं.लि.) के द्वारा अपने पारंपरिक विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 के वास्तविकीकरण (ट्रू-अप) के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्र. 10/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये राजस्व में कमी रु. 135.33 करोड़ है तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैरिंग कॉस्ट सहित राजस्व कमी रु. 159.76 करोड़ है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001, ईमेल cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष, मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं नियामक मामले), छ.रा.वि.उ.कं.लि. डंगनिया रायपुर-492013 (छ0ग0), ईमेल edcnra@cspc.co.in को प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रुपये 300/- का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सायं: 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु. 100/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना, आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर.ए.)

सी.एस.पी.जी.सी.एल., रायपुर